संचिका संख्या-अ.पा.-66/2011...770/वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

संजीव मित्तल,

उप बजट नियंत्रक सह-उप सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी कोषागार पदाधिकारी,

बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 19/08/2019

विषय: राजस्व प्राप्ति के अन्तर्गत "घटाएँ वापसियाँ" से संबंधित उपशीर्ष के संबंध में ।

प्रसंग: वित्त विभाग का पत्रांक-835/वि0 दिनांक-24.08.2016 एवं महालेखाकार कार्यालय का पत्रांक टी०एम० उपशीर्ष-35-1-(16-17)-1714 दिनांक- 09.08.2016 तथा पत्रांक- Try I (19-20)-83 दिनांक-26.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व अंतर्गत "घटाएं वापसियाँ" के लेखांकन के संबंध में एकरूपता बनाये रखने हेतु महालेखाकार कार्यालय द्वारा नये उपशीर्ष खोलने में सहमति प्रदान करते हुए पूर्व में कार्यरत उपशीर्ष को बंद कर दिया गया है ।

वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी सूचना प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपको दिया गया था तथा अनुरोध किया गया था कि "घटाएँ वापसियाँ" से संबंधित राशि निकासी करने के क्रम में महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्गत उपर्युक्त पत्रांक टी०एम०-उपशीर्ष 85-1-(16-17)-1714 दिनांक 09.08.2016 के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई की जाय, परन्तु कोषागार अंकेक्षण एवं संकलन [illegible] द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारियों द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इस संबंध में महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक- Try I(19-20)-83 दिनांक-26.07.2019 की छाया-प्रति संलग्न है ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त मामले में वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-835/वि0 दिनांक-24.08.2016 (छाया-प्रति संलग्न) में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(संजीव मित्तल)

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव ।

पत्र सं०- अ०पा० ... 835 /वि०

**बिहार सरकार**

**वित्त विभाग**

प्रेषक,

एच०आर० श्रीनिवास
सचिव (संसाधन)।

सेवा में,

[redacted]/सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 24.8.2016

विषयः- राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत "घटाएं वापसियाँ" से संबंधित उपशीर्ष के संबंध में।

प्रसंगः- वरीय उप महालेखाकार (लि० एवं भी० एल० सी०) के पत्रांक- टी०एम०-उपशीर्ष-85-1(16-17)-1714 दिनांक 09.08.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में कहना है कि कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व अंतर्गत "घटाएँ वापसियाँ" के लेखांकन में एकरूपता बनाए रखने हेतु महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निम्नांकित उपशीर्ष खोलने में सहमति प्रदान की गयी है:-

I. कर राजस्व के अधीन प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0020-निगम कर से लेकर प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क में सभी मुख्य शीर्ष अंतर्गत "घटाए वापसियां" हेतु मुख्य शीर्ष/उपमुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष के अंतर्गत "0099-घटाएँ वापसियां" उपशीर्ष।

II. करेत्तर राजस्व के अधीन प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0046-मुद्रा सिक्का ढलाई तथा टकसाल से लेकर प्राप्ति मुख्य शीर्ष 1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं में सभी मुख्य शीर्ष अंतर्गत "घटाएं वापसियां" हेतु मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष के अधीन लघुशीर्ष-900-घटाएँ वापसियां के अंतर्गत "0009-घटाएँ वापसियां" उपशीर्ष।

2. महालेखाकार कार्यालय द्वारा राजस्व प्राप्तियां के अंतर्गत "घटाएं वापसियां" हेतु उपरोक्त सहमति के आलोक में सॉफ्टवेयर में उपशीर्ष खोल दिया गया है और पूर्व से कार्यरत "घटाएं वापसियां" से संबंधित उपशीर्ष को बंद कर दिया गया है।

3. अतः अनुरोध है कि कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व में "घटाएं वापसियां" में एकरूपता बनाए रखने हेतु महालेखाकार कार्यालय द्वारा उपशीर्ष खोलने में दी गयी सहमति के आलोक में पत्र निर्गत की तिथि से कोषागार में "घटाएं वापसियां" से संबंधित राशि निकासी करने से संबंधित कर एवं करेत्तर राजस्व में घटाएं वापसियां अंतर्गत उपरोक्त खोले गए उपशीर्ष के अंतर्गत ही दिए गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

(एच०आर० श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन)।

ज्ञापांक अ०पा० 66/2011 835 वि०, पटना, दिनांक 24.8.2016

**प्रतिलिपि** : वरीय उप महालेखाकार (ले० एवं मी० एल० सी०) महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-टी०एम०-उपशीर्ष 85 (16-17)-1714 दिनांक- 09.08.2016/ उपमहालेखाकार (लेखा परीक्षा), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

24/8
(एच०आर० श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक अ०पा० 66/2011 835 वि०, पटना, दिनांक 24.8.2016

**प्रतिलिपि** : अपर सचिव-सह-मुख्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/ सभी उपसचिव-सह-बजट नियंत्रक, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8
(एच०आर० श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक अ०पा० 66/2011 835 वि०, पटना, दिनांक 24.8.2016

**प्रतिलिपि** : श्रीमति रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित ।

24/8
(एच०आर० श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन) ।

महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक/No. टी0एम0-उपशीर्ष-85-I-(16-17)- 1714
दिनांक/Date 09 08/2016

सेवा में,

**सचिव (संसाधन),**
वित्त विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

विषय - राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत "घटाएं वापसियाँ" में उपशीर्ष खोले जाने पर सहमति देने के संबंध में ।

प्रसंग - आपका पत्रांक-अ0पा0-66/2011-703/वि0 दिनांक 20.07.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं आपके प्रासंगिक पत्र के संबंध में महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना के राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत "घटाएं वापसियाँ" हेतु निम्नलिखित उपशीर्ष खोलने में सहमति प्रदान की है।

1. कर राजस्व के अधीन सभी मुख्य शीर्षों में "घटाएं वापसियाँ" हेतु मुख्यशीर्ष/उप मुख्शीर्ष/लघुशीर्ष के अंतर्गत "0099-घटाएं वापसियाँ" उपशीर्ष।
2. करेत्तर राजस्व के अधीन सभी मुख्य शीर्षों में "घटाएं वापसियाँ" हेतु मुख्यशीर्ष/उप मुख्शीर्ष के अधीन लघुशीर्ष-"900-घटाएं वापसियाँ" के अंतर्गत "0009-घटाएं वापसियाँ" उपशीर्ष।

नोट: पूर्व में राजस्व वापसियों के अन्तर्गत "घटाएं वापसियाँ" हेतु कार्यरत उपशीर्ष 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006 अब बन्द मानी जाय।

भवदीय,

तान्या सिंह

( तान्या सिंह )
वरीय उप महालेखाकार,
(लेखा एवं भी0एल0सी0)

मित्तल जी
2 अंक 5
(542)
11/8/2016
11/8/16

09 AUG 2019

दूरभाष/Telephone 2224251
2225716/2224812

फैक्स / Fax 0612-222
तार / Tele | Gram : ACCOUNTS

(417)
(574)

# महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
# OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No. Try 1 (19-20)-83
Dated 26-07-2019

सेवा में,

सचिव व्यय
**वित्त विभाग**
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्य शीर्ष 0020 से 0045 (Sector A Tax Revenue) के अंतर्गत लघुशीर्ष "900" घटाएँ वापसियों के संबंध में।

प्रसंग :- वित्त विभाग के **पत्रांक** अ0प0 0/66/2011835/वि0 दिनांक 24.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन ... के संबंध में सूचित करना है कि वित्त विभाग के पत्रांक अ0प0 0/66/2011 835/वि0 दिनांक 24.08.2016 में कर राजस्व वापसी के संबंध में दिये गये निदेशों का अनुपालन आहरण तथा संवितरण पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा ... एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि **कर** राजस्व के अधीन प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0020 निगम कर से लेकर प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क में सभी मुख्य शीर्ष अंतर्गत "घटाएँ वापसियाँ" हेतु मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष के अंतर्गत "0099" घटाएँ वापसियाँ उपशीर्ष का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ माह में भभुआ, मधुबनी, रोहतास, सिवान एवं वैशाली कोषागार द्वारा ऐसा नहीं किया गया है तथा घटाएँ वापसियाँ राशि को मुख्य शीर्ष उपमुख्य शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष "900" घटाएँ वापसियाँ में बुकिंग किया गया है। अतः उक्त कोषागार के द्वारा घटाएँ वापसियों के लघु शीर्ष "900" के अधिक बुकिंग राशि को इस कार्यालय द्वारा सुधार कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि राज्य के सभी कोषागारों को पुनः यह निर्देश दिया जाए कि इस प्रकार की कर राजस्व अंतर्गत वापसी के मामलों में हमेशा लेखांकन संबंधित विपत्र कोड अन्तर्गत उप शीर्ष 0099 घटाएँ वापसीयों के तहत ही होना चाहिए। कर राजस्व वापसियों से संबंधित राशि का जितना भी बुकिंग लघु शीर्ष "900" घटाए वापसियाँ में किया गया है उसका सुधार अपने स्तर से करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना से इस कार्यालय को अवगत कराये तथा भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृति न हो इस बावत उनका ध्यान वित्त विभाग के प्रसंगाधीन पत्रांक दिनांक 24.08.2016 की ओर आकृष्ट करते हुए सही लेखांकन करने हेतु प्रेरित कराया जाय।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
लेखा अधिकारी,
बिहार, पटना।

13/08/19
403350633/IN

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक– 3691
पटना, दिनांक:– 22.08.19

01/उ0म0स0 ([redacted]) विविध –01/18

प्रतिलिपि–[redacted] निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, त[redacted]की विकास बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/उप सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–5(स0) एवं 6(स0)/संयुक्त उद्योग निदेशक, प्रभारी बजट शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–प्रभारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी इस पत्र को उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित करने का कृपा की जाय।

22/08/19
उप उद्योग निदेशक,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

## हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय
## उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1501/ ह0रे0/स्था0– (विविध)– 05/17 पटना, दिनांक– 03.09.19/

प्रतिलिपि– सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभगीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

अनु0 – यथोक्त।

03/09/19
संयुक्त उद्योग निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना।